न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –659 / 2025

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय बनवारी 2. जमना पुत्री स्वर्गीय बनवारी 3. संतोष पुत्री स्वर्गीय बनवारी4. पार्वती पुत्री स्वर्गीय बनवारी5. मनोज पुत्र स्वर्गीय बनवारी6. चावली उर्फ चन्द्रावली पत्नी स्वर्गीय श्री बनवारी लाल 7. सुलोचना पुत्री रामप्रताप8. रामचन्द्र पुत्र रामप्रताप9. लक्ष्मी नारायण पुत्र रामप्रताप10. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप11. राम निवास पुत्र रामप्रताप12. विमला पत्नी धर्मपाल13. जयप्रकाष पुत्र धर्मपाल14. सुमिता पुत्री धर्मपाल समस्त निवासी ग्राम दलपतपुरा तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ राजस्थान निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा
88–89,राजस्थानकाश्त0 अधि01955

उपस्थिति :– श्री विचित्र बिजारणियां अधिवक्ता**वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है किग्राम दलपतपुरा पटवार हल्का दलपतपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मेघाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 2/2 रकबा रकबा 4.8150 हैक्टेयर खाता संख्या 477 पुराना खाता संख्या 467 एंव खसरा नबंर 229 रकबा 12.6970 हैक्टेयर खाता संख्या 477 पुराना खाता संख्या 477 स्थित है।

उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि की राजस्व रिकार्ड मे सम्वत् 2005 में स्वर्गीय छोटूनाथ के नाम से अंकित रही थी। उल्लेखनीय है कि उक्त आराजी स्वर्गीय छोटूनाथ जो कि तात्कालीन सम्वत् 2005 में 880 बीघा का स्वामित्व रखता था, जिसके पास मन्धाराम पुत्र बेगूराम कार्य करता था। उक्त मन्शाराम को स्वर्गीय छोटूनाथ ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर की सम्पूर्ण कृषि भूमि व उसके हक खातेदारी व हक काप्त को स्वर्गीय मन्षाराम को मौके पर वास्तविक एवं मालिकाना कब्जा सम्मला दिया था जिसके बाद वादग्रस्त भूमियो बाबत् स्वर्गीय छोटूनाथ की समस्त प्रकार की अधिकारिता उसी समय समाप्त हो गयी थी एंव स्वर्गीय छोटूनाथ उक्त भूमियो के सबंध में किसी भी प्रकार का हित कानूनी या अन्यथा नही रखता था।स्वर्गीय छोटूनाथ के वादीगण के पूर्वज मन्याराम के हित मे वादग्रस्त भूमियो के दान के पष्चात् स्वर्गीय मन्षाराम अपने जीवनकाल मे उपरोक्त भूमियो का उपयोग उपभोग करता रहा एंव तत्पष्चात् विधिअनुरूप प्रक्रिया के तहत स्वर्गीय मन्षाराम की उपरोक्त विवादित भूमियों [illegible] वादीगण के पूर्वज स्वर्गीय बनवारी, स्वर्गीय रामप्रतान व स्वर्गीय धर्मपाल का [illegible] हुआ, जो कभी भी किसी न्यायलय में वादीगण की पुख्ता जानकारी [illegible] रहा।वादीगण के पूर्वज साक्षर नही थे एंव कानूनी प्रक्रिया में ज्यादा समझ नही रखते थे। जिस कारण [illegible]म जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 कानून के तहत जब राज्य सरकार द्वारा संबंधित भूमिधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

छोटूनाथ के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रस्तावित किया गया तो साक्षरता के अभाव मे एंव कानूनी प्रक्रिया को नही समझ पाने के चलते छोटूनाथ एंव उसके दीगर सहयोगिया ने विधिविपरीत तरीके से तथ्यो व दस्तावेजात् की अज्ञानतावष मन्षाराम को दान की जा चुकी भूमि का विवरण सीलिंग प्रक्रिया के तहत बिना मन्षाराम या उसके वारिसो की वास्तविक सहमति व जानकारी के दर्ज करवा दिया जो कि किसी भी प्रकार से विधिक नही था एंव मन्षाराम व उसके वारिसो के साथ धोखा व पूर्णतया गैरविधिक था। तात्कालीन सीलिंग प्रकरण नबर 791/71 मे श्रीमान् उपजिलाधीष प्राधिकृत सीलिंग नोहर ने उक्त भूमि बनवारी, रामप्रताप व धर्मपाल की खातेदारी की मानी थी और निर्णय भी किया था कि उक्त भूमि महन्त छोटूनाथ की भूमि के साथ क्लब नहीं की जा सकती। जिसके बावजूद तत्समय राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा बिना मन्षारामएंव उसके विधिक उत्तराधिकारियो को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाये व बिना कोई समयक संतुष्टिकारक सूचना दिये एंव बिना सुनवाई का समुचित विधिअनुसार अवसर दिये, मौके पर पर कब्जे की वास्तविक पुष्टि किये बिना ही उक्त मन्षाराम सबद्ध भूमियाँ जो कि राजस्व रिकार्ड मे सम्वत् 2012 में ही बनवारी, रामप्रताप व धर्मपाल के नाम दर्ज हो चुकी थे के बाबत् इन्द्राज राज्य सरकार में निहित होना अंकित कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर वादीगण के वारिसों द्वारा विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियो में चुनौती देने की संभावना पर विचार किया जाकर आंषिक रूप से कार्यवाही प्रक्रिया को अग्रिम रूप दिया गया लेकिन बारम्बार विधिक प्रक्रिया को ना समझ पाने, स्थानीय स्तर पर वादीगण के पूर्वजो को मौका स्थित व उनके कानूनी विकल्पो के संदर्भ में उचित राय मसवरा नही दिये जाने ऐसी परिस्थितियों में वादीगण के पूर्वजों अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे है एवं समय व्यतीत होता चला गया। वादीगण के पर्वूज आदिनांक तक उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज व काश्त करते आ रहे है।

सम्वत् 2005 से आज दिंनाक तक के राजस्व रिकार्ड के कमबद्ध अवलोकन व स्वर्गीय छोटूनाथ द्वारा मन्षाराम के पक्ष में किये गये दान, व मन्षाराम द्वारा अपने जीवनकाल में भूमियो का अपने पुत्रो बनवारी, रामप्रताप व धर्मपाल के हित में ट्रांसफर करने व बनवारी, रामप्रताप, धर्मपाल का नाम राजस्व रिकार्ड में विधिविहित प्रक्रिया के तहत दर्ज होने व उक्त अंकन कभी भी चुनौतीग्रस्त नही होने, तत्पष्चात् सीलिंग प्रक्रिया के तहत बिना वादीगण के पूर्वजो बनवारी, रामप्रताप, धर्मपाल को सुनवाई का मौका दिये उनसे सबंद्ध भूमियो को राज्य सरकार के हित में अंकन दीगर व्यक्ति के कहे अनुसार, उक्त दीगर व्यक्ति छोटूनाथ को उक्त भूमियो के सबद्ध में काई भी अधिकारिता नही रहने पर भी किये जाने के सबंध प्रकिया का अवलोकन किया जाकर उक्त विवादित भूमियो का अंकन राज्य सरकार मे किये जाने बाबत् आदेष कार्यवाही निरस्त किया जाकर बहैसियत विधिक वारिसान बनवारी, रामप्रताप, धर्मपाल वादीगण के नाम अंकित किया जाना विधि अनुरूप है जिस हेतुक विधिक प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है।सम्वत् 2005 से आज दिंनाक तक के राजस्व रिकार्ड के कमबद्ध अवलोकन व स्वर्गीय छोटूनाथ द्वारा मन्षाराम के पक्ष में किये गये दान, व मन्षाराम द्वारा अपने जीवनकाल में भूमियो का अपने पुत्रो बनवारी, रामप्रताप व धर्मपाल के हित में ट्रांसफर करने व बनवारी, रामप्रताप, धर्मपाल का नाम राजस्व रिकार्ड में विधिविहित प्रक्रिया के तहत दर्ज होने व उक्त अंकन कभी भी चुनौतीग्रस्त नही होने, तत्पष्चात् सीलिंग प्रक्रिया के तहत बिना वादीगण के पूर्वजो बनवारी, रामप्रताप, धर्मपाल को सुनवाई का मौका दिये उनसे सबंद्ध भूमियो को राज्य सरकार के हित में अंकन दीगर व्यक्ति के कहे अनुसार, उक्त दीगर व्यक्ति छोटूनाथ को उक्त भूमियो के सबद्ध में काई भी अधिकारिता नही रहने पर भी किये जाने के सबंध प्रकिया का अवलोकन किया जाकर उक्त विवादित भूमियो का अंकन राज्य सरकार मे किये जाने बाबत् आदेष कार्यवाही निरस्त किया जाकर बहैसियत विधिक वारिसान बनवारी, रामप्रताप, धर्मपाल वादीगण के नाम अंकित किया जाना विधि अनुरूप है जिस हेतुक विधिक प्रक्रिया अमल में लायी जा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

है।उल्लेखनीय है कि वादीगण बनवारी, रामप्रताप एंव धर्मपाल के विधिक वारिसान है एंव अपने अपने हिस्से पर आपसी सहमति से काबिज काष्त है लेकिन विवादित अंकन से उनके विधिक हित समान रूप से प्रभावित होने के कारण वादबाहुल्यता रोकने के लिए एकराय व सहमत पक्षकार होकर अपने–अपने विधिक अधिकारो की रक्षार्थ एकसाथ राजस्व वाद दायर किया जा रहा है, जिसमे कोई कानूनी बाधा नहीं है।अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काप्त कर लाभ उठाते चले आ रहे है लेकिन भूमि अभी प्रतिवादी के नाम दर्ज है एंव जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड में हुयी पूर्व त्रुटि को द्वष्टिगत नहीं किया जा रहा है एंव वादीगण के कमबद्ध दस्तावेजात् सकंलन व निरीक्षण पर विधिअनुरूप गौर नहीं किया जा रहा है एंव जबरन विवाद किया जा रहा है एंव जिस अनुक्रम में राजस्थान उपनिवेषन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत कार्यवाही आंरभ किये जाकर वादीगण को उक्त जमीनो से बेदखल किये जाकर वादीगण के न्यायहित प्रभावित किये जाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।प्रतिवादी ने वादीगण पूर्वजो के साक्षर नहीं होने की स्थित का बेजा फायदा उठाकर वादीगण संबंद्ध कृषि भूमियो से वादीगण को बेदखल करने की कार्ययोजना अमल में लाये जाने का बेजा प्रयास किया जा रहा है और इसी उदेष्य की पूर्ति हेतु स्वंय की कार्यवाही को अंतिम रूप देने की गरज से सहयोग की मंषा से समस्त कमबद्ध रिकार्ड का खुलासा किये बिना अनुचित गैरविधिक प्रक्रिया के तहत वादीगण को हाल राजस्व प्रकरण संख्या 2023/10–एन11091/54 दिनाक 18.08.2023 में सुनवाई का मौका दिये बगैर अग्रिम कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना करते हुये किये जाने की कार्ययोजना बना ली है एंव हठधर्मितापूर्वक कमबंद्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किये बिना वादीगण के विधिक हितो को कुठाराघात पहुँचाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है एंव समस्त कार्यवाही एकमात्र अपने पदीय स्थित का गैरवाजिब फायदा उठाते हुये की जाने का प्रयास किया जा रहा है।प्रतिवादी वादी के जायज पैतृक हक हकूक वाली भूमि का हस्तान्तरण, वय, और मुन्तकिल अन्य किसी और के पक्ष में कर देता है तो वादीगण अपने जायज हक से महरूम रह जायेगे। वादीगण को उक्त परिस्थितियो के कारण उक्त प्रश्नगत भूमि जो संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि रही है में अपना निरफ हिस्सा घोषित कराने का अधिकार है तथा अपने–अपने हिंस्से की भूमि का खाता व लगान अलग कराकर अपने हिस्से की भूमि की पूर्ण रूप से सुरक्षा का भी वादीगण अधिकारी है, जिसके बाबत् वादबाहुल्यता ना हो जिसके लिये वादीगण एकमत एंव सहमत पक्षकार है।वादीगण मात्र अपने हिस्से की उपरोक्त भूमि का खाता विधिअनुरूप राजस्व रिकार्ड मे स्वंय के नाम दर्ज करवाने व लगान अलग कराकर अपने–अपने हिस्से की भूमि की पूर्ण रूप से सुरक्षित कराना चाहते है व वादीगण को प्रतिवादी के अतिरिक्त किसी अन्य से कोई परेषानी भी नहीं है, लेकिन भूमि बाबत् प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन को पूर्व क्रमबद्ध दस्तावेजात का निरीक्षण किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती नही किये जाकर पूर्व त्रुटिपूर्ण अकंन के अधार पर वादीगण के विधिक हित प्रभावित करते हुये वादग्रस्त भूमियो बाबत् वादीगण के हित समाप्त कर देने व वादीगण समस्त के विरूद्ध प्रताडना पूर्ण कार्यवाही की धमकी देने, एंव इस सबंध में क्रमबद्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किये बिना राजस्थान उपनिवेषन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत सूचना पत्र जारी किये जाने व वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर ना देकर वादीगण के न्यायहित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों की अवहेलना करने से उनके विरूद्ध वादकारण उत्प[illegible]क मुकदमा बनाया गया है।वाद हाजा के लिए विनाय मुकासम्मत हाल ही [illegible] वादीगण अपने हिस्से की आराजी की देखभाल करने गया एंव दिन[illegible] के ऐलानिया वादी को उसके जायज हको से मना करने व उक्त जमीनी का मुआवना व सार संभाल करने मे रुकावट उत्पन्न करने एंव प्रतिवादी द्वारा उक्त सबंध में वादीगण को सुनवाई का मोका नही देने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैदा हुई है। अत वादीगण को उक्त वाद भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावें।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने अपने पत्रांक 1382 दिनांक 14.11.2025 द्वारा अवगत करवाया की उक्त प्रकरण में दिनांक 07.04.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश कि गई है। पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया गया।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुतम नही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात बहस सुनी गई।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया की विवादित कृषि भूमि राजस्थान के जिला हनुमानगढ़, तहसील नोहर के अंतर्गत ग्राम दलतपुरा में स्थित है। भूमि में खसरा नंबर 2/2 (माप 4.8150 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 229 (माप 12.8970 हेक्टेयर) के तहत खाता नंबर 477 (पुराना खाता नंबर 467 और 477), खसरा नंबर 2/3 (माप 2.6710 हेक्टेयर) कुल भूमि 82 बीघा शामिल है। सरकारी भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार, संवत 2005 तक सम्पूर्ण कृषि भूमि स्वर्गीय छोटू राम के नाम दर्ज थी। स्वर्गीय छोटू राम ने इस भूमि का स्वामित्व बरकरार रखा और स्वतंत्र रूप से इसका प्रबंधन किया। स्वर्गीय छोटू राम ने अपने जीवनकाल में ही संवत 2005 में यह ज़मीन मनसराम राम को दान कर दी थी। यह हस्तांतरण पारंपरिक ग्रामीण रीति-रिवाजों और धार्मिक सेवा भावना के अनुरूप अजाज़ी (निःस्वार्थ) सेवा प्रावधान के तहत किया गया था। संवत 2005 में भूमि अधिग्रहण के बाद, मनसराम ने पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग किया और बाद में भूमि को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित कर दिया, जिनमें पवन कुमार, जमना, संतोष, पार्वती, मनोज, सुलोचना रामचंद्र, लक्ष्मी नारायण, राजेंद्र कुमार, राम निवास, विमला, जयप्रकाश और सुमिता शामिल हैं, जो इस मामले में वादकर्ता हैं। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राज्य सरकार ने नोहर के तहसीलदार के माध्यम से भूमि के स्वामित्व को चुनौती दी, जबकि भूमि का हस्तांतरण वैध और निर्विवाद रूप से स्वर्गीय छोटू राम से मनसरामऔर तत्पश्चात वादकर्ताओं को हुआ था वादकर्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 और 188 के तहत अपने स्वामित्व अधिकारों की कानूनी मान्यता चाहते हैं, तथा भूमि का हस्तांतरण सही तरीके से किया गया था और यह लगभग दो दशकों से उनके निर्बाध कब्जे में है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, वादकर्ताओं के पूर्वजों का भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व अधिकार था। हालाँकि, सरकार ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए, भूमि को अपने पक्ष में पंजीकृत कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआवादकर्ताओं का तर्क है कि उनके नाम राजस्व अभिलेखों से गलत तरीके से हटा दिए गए थे, और बिना उचित कानूनी नोटिस या सुनवाई के, गलत तरीके से नामांतरण सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। संवत 2005 से, यह भूमि लगातार वादकर्ताओं के पारिवारिक नाम से दर्ज है और इस दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, सरकार द्वारा अचानक दी गई चुनौती कानूनी रूप से नि[illegible] और दीर्घकालिक कब्जे के अधिकारों पर उचित विचार किए बिना [illegible] है कि विरोधी पक्ष (राज्य सरकार) ने ज़मीन को गलत [illegible] करने के प्रयास में पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पारिवारिक विरासत के दस्तावेज़ और वैध कानू[illegible] हस्तांतरण सहित प्रमुख दस्तावेज़ी साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया है। सरकार कथित तौर पर राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर संपदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही है, जबकि यह भूमि कभी भी जागीर या सरकारी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई थी। वादकर्ता केवल भूमि में अपने हिस्से की मान्यता की मांग कर रहे हैं और उन्हें किसी अन्य दावे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा गलत राजस्व म्यूटेशन पिछले कानूनी दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना किया गया था। विचाराधीन भूमि कभी भी सरकारी भूमि नहीं रही है, और राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी स्वामित्व दावा पूर्णतः निराधार तथा विधि–विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि आज तक राज्य सरकार ने वादकर्ताओं के विरुद्ध कब्ज़ा हटाने अथवा निष्कासन (dispossession) संबंधी कोई भी वाद अथवा कार्यवाही न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, सीमा बद्धता अधिनियम, 1963 (Limitation Act] 1963) की धारा 27(Section 27) के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर स्वत्व या स्वामित्व संबंधी वाद दाखिल नहीं किया जाता, तो उसका स्वामित्व अधिकार विधिक रूप से समाप्त माना जाता है वादकर्ता अपनी भूमि में किसी भी अन्य अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध करते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4948/2025 में उपखंड अधिकारी, नोहर को मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी समन की उचित तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ, जिससे अनावश्यक देरी हुई। सीपीसी, 1908 के आदेश IX नियम 6 (ए) के तहत, गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही को उचित ठहराती है, जिससे वादकर्ताओं के दावे निर्विरोध हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2008) 1 एससीसी 407, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि न्याय में देरी करना अवमाननापूर्ण अवज्ञा है एकतरफा कार्यवाही इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य का संपत्ति पर कोई कानूनी दावा नहीं है, और वादकर्ताओं के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एक काश्तकार जो एक निर्धारित अवधि तक भूमि पर निरंतर कब्जा रखता है, उसे अधिभोग अधिकार प्राप्त होंगे एवं धारा 188 किसी भी व्यक्ति को उसके काश्तकारी से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया जाए। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 गलत राजस्व प्रविष्टियों को सही करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 114(F)न्यायालय यह मान सकता है कि आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। धारा 65(b) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। धारा 79– सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को वास्तविक माना जाएगाधारा 9– 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संबंध में उपधारणा जहाँ कोई दस्तावेज, जो 30 वर्ष पुराना होने का तात्पर्य रखता है या सिद्ध है, किसी ऐसी अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है जिसे न्यायालय विशेष मामले में उचित समझता है, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होने का तात्पर्य रखता है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज के मामले में, यह उस व्यक्ति द्वारा विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया था जिसके द्वारा इसे निष्पादित और सत्यापित किया जाना तात्पर्पित है।सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश IX नियम 6() यदि प्रतिवादी उचित तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 कि[illegible]व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया ज[illegible] प्रतिवादी वादकर्ताओं के दावे को चुनौती देने वाला कोई भी द[illegible] करने में विफल रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के अनुसार, ज[illegible]कोई पुराना दस्तावेज़ उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय उसकी प्रामाणिकता मान लेता है, जब तक कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अन्यथा सिद्ध न हो जाए। चूँकि प्रतिवादी ने इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए वादकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी ऐतिहासिक अभिलेखों और प्रमाणित भूमि दस्तावेजों को वैध और बाध्यकारी माना जाना चाहिए। वादकर्ताओं के 70–80 वर्षों के लंबा कब्जा है व निरंतर और निर्बाध कब्जाः वादकर्ता और उनके पूर्ववर्ती 70–80 वर्षों से विवादित भूमि पर निरंतर, खुले और शांतिपूर्ण कब्जे में हैं। इस तरह का दीर्घकालिक कब्जा स्वामित्व अधिकारों की एक मजबूत धारणा स्थापित करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के तहत कानूनी धारा 90 अदालत को 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेजों की प्रामाणिकता मानने की अनुमति देती है, बशर्ते कि वे उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत किए गए हों। वादकर्ताओं के कब्जे का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की आयु को देखते हुए, उन्हें वास्तविक माना जाता है, जिससे वादकर्ताओं का दावा मजबूत होता है। कब्जे का सिद्धांतः प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत, एक व्यक्ति जो एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 12 वर्ष) के लिए खुले तौर पर और लगातार भूमि पर कब्जा करता है, वह कानूनी स्वामित्व का दावा कर सकता है, खासकर यदि मूल मालिक इस कब्जे का विरोध नहीं करता है। वादकर्ताओं का 70–80 वर्षों तक निर्बाध कब्जा न केवल उनके स्वामित्व अधिकारों को स्थापित करता है, बल्कि राज्य द्वारा किए गए किसी भी प्रतिकूल दावे को भी निरस्त करता है। इस तरह का दीर्घकालिक कब्जा, राज्य की ओर से किसी भी प्रकार के विरोध के अभाव के साथ, वादकर्ताओं की कानूनी स्थिति को मजबूत करता है। रविन्दर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयः सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 65 के तहत स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय निर्णयः हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार (2024) हरियाणा राज्य ने निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि के स्वामित्व का दावा किया। निर्णयः सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के दावे को खारिज कर दिया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति हड़पने की अनुमति देने से संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा और सरकार में जनता का विश्वास कम होगा। राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति हड़पने की अनुमति देने से नागरिकों के संवैधानिक अधिकार कमज़ोर होंगे और सरकार में जनता का विश्वास कम होगा। अत वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की हस्तगत वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर पारित आदेश जो राज्य सरकार के विरूद्व पारित किया गया था के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी विचाराधीन है उच्च राजस्व न्यायालय में विवाद विचाराधीन है इसलिये वादी किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है तथा वाद भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर के द्वारा सीलिग में अधिग्रहण की जाकर अराजीराज दर्ज करने के आदेशो की पालना में अराजीराज दर्ज की गई है यदि वादी का उक्त आदेश से किसी प्रकार का ऐतराज है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता था किन्तु आदिनांक तक अपील पेश नही करने से साबित है वादी के पूर्वजों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेशो को स्वीकार किया गया है वादी वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है ना ही वादी वाद भूमि का किसी प्रकार का टिनेन्ट है ना ही वाद भूमि पर वादी का कभी कब्जा रहा है इसी आधार पर ही घोषणा क[illegible] अतः वाद वादी संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षो की ब[illegible] किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1 ([illegible]466)राज/सी/79/744 जयपुर दिनांक 26.09.1981 में प्रदत आदेशों की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत छोटूनाथ पुत्र कमाईनाथ निवासी दलपतपुरा के सीलिग प्रकरण को रिऑपन किया जाकर विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दिनांक 27.09.1984 को निर्णय पारित किया जाकर वाद भूमि को सीलिग में अधिग्रहण की जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेशो की अनुपालना में तहसीलदार नोहर के द्वारा वाद भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अराजीराज दर्ज किया गया था जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है।

वाद भूमि रोही मौजा दलतपपुरा के खाता संख्या 477/440 की कुल 20.1968हैक्ट भूमि पूर्व मे छोटूनाथ के नाम से दर्ज थी अधिकतम कृषि जोत अधिनियम 1973 प्रभाव में आने पर छोटूनाथ के विरूद्व सिलिग प्रकरण विचाराधीन रहा जिसमें छोटूनाथ के पास सिलिग से अधिक भूमि मानकर वाद भूमि का अधिग्रहण किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज किया गया था जो विधिपूर्वक सही तौर से दर्ज किया गया है।

वाद भूमि पूर्व में छोटूनाथ की भूमि थी जिसने वादी या उसके पूर्वजो को कभी दान नही की गई थी ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि छोटूनाथ ने कभी मन्शाराम को दान की गई थी केवल राजस्व कर्मचारीयो से तथ्यो को छुपाकर राजस्व रिकार्ड में मन्शाराम की काश्त दर्ज करवाई गई थी केवल काश्त के आधार पर वादी किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद भूमि का पूर्व में सिलिग प्रकरण विचाराधीन रहा था के सम्बध में वादी ने कोई तथ्य सपष्ट नही किये गये है वादी ने तथ्यो को छुपाकर वाद पेश किया गया है अर्थात वादी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आने के कारण वादी का वाद इसी आधार पर खारिज योग्य है।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के ,द्वारा सिलिग प्रावधानो के तहत अधिग्रहण की जाकर आराजीराज दर्ज की गई है जो नामान्तकरण संख्या 2069 रोही मौजा दलपतपुरा से स्पष्ट है यदि वादी को उक्त आदेश/निर्णय पर आपत्ति थी तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता था न्यायालय हाजा से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद भूमि नियमानुसार सिलिग प्रावधानो के तहत अधिग्रहण की जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज की गई है सिलिग में अधिग्रहण की गई भूमि सिलिग आवंटन नियमों के तहत आंवटन करवाने के बाद ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही है

वादी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार प्रतिकुल कब्जा के आधार पर प्राप्त करना चाहता है जबकि वादी का कब्जा वाद भूमि पर कभी भी नही रहा है वादी के विरूद्व राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जाता रहा है तथा प्रतिकुल कब्जा के आधार पर राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

वाद भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम के तहत अधिग्रहण की गई भूमि है जिसके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार की घोषणा या खातेदारी अधिकार अप्राणित प्रतिकुल कब्जा के आधार पर नही दिये जा सकते है वाद भूमि सिलिग अधिग्रहण होने के कारण सिलिग नियमों के तहत ही आवंटन/खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है जो वादी पाने का अधिकारी नही है साथ ही वाद भूमि हस्तगत न्यायालय से उच्च न्यायालय के द्वारा सिलिग में अधिग्रहण की जाकर अराजीराज दर्ज की गई है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में की जा सकती है ना की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष वादी याचित करने का अधिकारी है वादी का वाद वार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज योग्य है।

तहसीलदार नोहर के अनुसार हस्तगत प्रकरण में राज्यपक्ष की और से प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया था जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है उच्च राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है इसलिये वाद किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी भी नही है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद भूमि सीलिग में अधिग्रहण की जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज की गई है जिसके सम्बध में किसी भी प्रकार की कार्यवही सीलिग विधि के अनुसार ही की जा सकती है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार की घोषणा नही की जा सकती है तथा वादी को पूर्ण ज्ञान है कि वाद भूमि सीलिग में अधिग्रहण की जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज की गई है तथ्यो को छुपाकर वाद पेश किया गया है अर्थात वादी क्लीन हैण्ड से भी न्यायालय में नही आया है सीलिग में अधिग्रहण की गई भूमि के सम्बध में वादी किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही होने के कारण वाद वादी खारिज योग्य है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेबल /संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय बनवारी 2. जमना पुत्री स्वर्गीय बनवारी 3. संतोष पुत्री स्वर्गीय बनवारी4. पार्वती पुत्री स्वर्गीय बनवारी5. मनोज पुत्र स्वर्गीय बनवारी6. चावली उर्फ चन्द्रावली पत्नी स्वर्गीय श्री बनवारी लाल 7. सुलोचना पुत्री रामप्रताप8. रामचन्द्र पुत्र रामप्रताप9. लक्ष्मी नारायण पुत्र रामप्रताप10. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप11. राम निवास पुत्र रामप्रताप12. विमला पत्नी धर्मपाल13. जयप्रकाष पुत्र धर्मपाल14. सुमिता पुत्री धर्मपाल समस्त निवासी ग्राम दलपतपुरा तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ राजस्थान निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 759 सन 2023 निर्णय दिनांक– 09/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेबल /संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:23 IST
Reason: SelfAttested